# संचालनालय, आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी , सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष), छत्तीसगढ, रायपुर

## बी.ए.एम.एस./बी.एच.एम.एस./बी.एन.वाय.एस. /बी.यू.एम.एस. पाठ्यकम

## सत्र 2018–19 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग कार्यक्रम

## –:: द्वितीय चरण की काउंसिलिंग सूचना ::–

**काउंसिलिंग स्थल :– शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई.रोड, रायपुर (छ.ग.)**

बी.ए.एम.एस.पाठ्यक्रम,सत्र 2018–19 में भारत सरकार, आयुर्वेद,योग व प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय नई दिल्ली/राज्य शासन से प्राप्त अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता/ अनुमति के आधार पर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालयों की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसिलिंग आयोजित है । प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) 2018 में सम्मिलित एवं संचालनालय आयुष द्वारा जारी विज्ञापन दिनांक 31.8.2018 के अनुसार पंजीकृत **छत्तीसगढ़ के मूल निवासी** अभ्यर्थियों को श्रेणी/संवर्गवार काउंसिलिंग हेतु आमंत्रित किया जाता है, ऐसे उम्मीदवार जिनका प्रकाशित मेरिट सूची में प्राप्तांक, श्रेणी/संवर्गवार निम्नानुसार है वे इस सूचना के आधार पर काउंसिलिंग में अवसर (चान्स)लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं :–

**समय सारिणी**

| दिनांक | श्रेणी/संवर्ग | रजिस्ट्रेशन का समय | नीट प्रवेश परीक्षा के कुल प्राप्तांक (परसेन्टाइल) |
|---|---|---|---|
| 27.9.2018 (गुरूवार) | अनारक्षित | प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक | |
| | (एफ.एफ.) | ——" —— | 392 से 119 (93.377305 से 50.004843 तक) |
| | (दिव्यांग) | ——" —— | 559 से 203 (99.530443 से 72.086138 तक) |
| | अजजा | प्रातः 11.00 से 12.00 बजे तक | |
| | ( सैनिक) | ——" —— | 184 से 126 (68.342834 से 52.648629 तक) |
| | (एफ.एफ.) | ——" —— | 146से 109 (58.988945 से 46.037194 तक) |
| | (दिव्यांग) | ——" —— | — — |

(अ) प्रवेश नियम 2018 की कंडिका 8(15)(ञ) में निहित प्रावधान अनुसार अनारक्षित (एफ.एफ.),(दिव्यांग) तथा अजजा (सैनिक),(एफ.एफ.),(दिव्यांग) के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी श्रेणी के बिना संवर्ग में परिवर्तित कर आगामी कांउसलिंग में भरा जावेगा। उपरोक्तानुसार श्रेणी/संवर्गवार दर्शाए गए अंकों वाले ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण की काउंसिलिंग दिनांक 18.9.2018 में चयनित/उपस्थित नहीं हो सके हैं वे भी काउसिलिंग में अवसर (चान्स) लेने हेतु उपस्थित हो सकते हैं।

(ब) रिक्त सीटों की संख्या महाविद्यालयवार निम्नानुसार है :–

| | | अना. | अजजा | अजा | अपिव | योग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर | – (FF-1, PH-1) | – (FF-1,PH-1,S-1) | – | – | 05 |
| 2 | शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बिलासपुर | – (FF-1, PH-1) | – (FF-1,PH-1,S-1) | – | – | 05 |

सभी उम्मीदवार निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ उक्त निर्धारित स्थान, तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होवें ,ऐसा न करने पर वे प्रवेश का अवसर खो देंगे :–

1. नीट परीक्षा का प्रवेश–पत्र ।
2. नीट प्रवेश परीक्षा–2018 की अंकसूची ।
3. ऑनलाइन पंजीयन की प्रति ।
4. दसवीं की मूल अंकसूची ।
5. बारहवीं की मूल अंकसूची ।

6. स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र ।
7. स्थायी जाति प्रमाण–पत्र (नियम 4 (2) के अनुसार)।
8. अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु जाति प्रमाण–पत्र सहित विगत तीन वर्षो का आय प्रमाण पत्र (जो कि शासकीय/केन्द्र शासन के कार्यालय का फार्म–16 अथवा तहसील कार्यालय से जारी किया गया हो)।
9. छत्तीसगढ़ राज्य के संभागीय मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी शारीरिक दिव्यांगता का प्रमाण–पत्र (नियम 4 (3) के अनुसार) ।
10. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण–पत्र । (नियम 4 (3) के अनुसार)
11. सैनिक संवर्ग हेतु जिला सैनिक कल्याण अधिकारी का प्रमाण पत्र । (नियम 4 (3) के अनुसार)
12. अभ्यार्थियों को चिकित्सकीय उपयुक्तता सिद्ध करने के लिये प्रवेश प्राप्त करने के पूर्व अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी । **इस हेतु उन्हें सिविल सर्जन द्वारा प्रदत्त चिकित्सकीय उपयुक्तता प्रमाण पत्र** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
13. **दिव्यांगता संवर्ग** में प्रवेश का लाभ प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के **संभागीय मेडिकल बोर्ड** द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
14. अध्ययन में यदि व्यवधान हो तो कारण सहित नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र (गैप सर्टिफिकेट) अनिवार्य है।
15. उपरोक्त दस्तावेजों की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों का एक सेट एवं दो पासपोर्ट साईज **फोटो** भी साथ लावें।
16. **शैक्षणिक शुल्क :–**

(1) अभ्यर्थी को प्रवेश की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए **शैक्षणिक शुल्क** की राशि **नगद अथवा बैंक डाफ्ट /बैंकर्स चेक** के रूप मे जमा करना अनिवार्य होगा ,जो **''प्राचार्य, शासकीय स्वशासी आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग )''** या **"Principal, Government Autonomous Ayurvedic College, Raipur (C.G.)"** के नाम पर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का बना हो, एकाउंटपेयी हो तथा रायपुर में देय हो।

(2) काउंसिलिंग के समय **शासकीय** आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर/बिलासपुर के शुल्क का 50 प्रतिशत – सामान्य / ओ.बी.सी.के लिए **रू 4318/–** तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के लिए **रू.1618/–** तत्काल जमा करना अनिवार्य है।

**(3) काउंसिलिंग के समय पाठ्यक्रम/ महाविद्यालय का चयन करने पर निर्धारित शुल्क की 50 प्रतिशत राशि तत्काल जमा न करने पर अभ्यर्थी चयन का अवसर खो देगा।**

**(4) शुल्क की शेष राशि अभ्यर्थी को प्रवेश के समय महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।**

नोट :– (1) यदि कोई सेमेस्टर एक वर्ष छः माह का है तो अभ्यर्थी से अनुपातिक एक वर्ष छः माह का शुल्क लिया जावेगा ।

(2) सीटों का विस्तृत विवरण काउंसिलिंग स्थल पर काउंसिलिंग के समय चस्पा किया जावेगा।

(3) काउंसिलिंग के दौरान उन्हीं महाविद्यालयों की सीटों पर आबंटन किया जाएगा, जिन्हें भारत सरकार/ राज्य शासन से अनुमति तथा संबंधित विश्वविद्यालय से संबद्धता/निरंतरता प्राप्त होगी।

संचालक,
आयुर्वेद,योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़